



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248504
CG-DL-E-02092023-248504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]
No. 508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2023/भाद्र 10, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023/BHADRA 10, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 649(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005, के नियम 3 में,-

(i). उप-नियम (1) में, खंड (क) के, उप-खंड (i) में, "कैप्टिव प्रयोक्ता" शब्दों के स्थान पर, "कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं)" शब्द रखे जाएंगे;

(ii). उप-नियम (1) में, खंड (क) के, उप-खंड (i) के तद्धीन परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii). स्पष्टीकरण के, खंड (ख) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि कोई कंपनी, जो एक कैप्टिव प्रयोक्ता है, की, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में यथापरिभाषित सहायक कंपनी या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (46) में यथापरिभाषित धारित कंपनी द्वारा किया गया उपभोग भी कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा किए गए कैप्टिव उपभोग के रूप में स्वीकार्य होगा।";

(iv). उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) ऐसे उत्पादन संयंत्रों की कैप्टिव प्रास्थिति, जहां कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और उसके कैप्टिव प्रयोक्ता एक से अधिक राज्यों में अवस्थित हैं, का सत्यापन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।”

[फा. सं. 23/18/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम वर्ष 2005 में, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 379 (अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि 558 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2023

G.S.R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Electricity (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity Rules, 2005, in rule 3,-

(i) in sub-rule(1), in clause (a), in sub-clause(i), for the words “captive user”, the words “captive user(s); and” shall be substituted;

(ii) in sub-rule(1), in clause (a), in sub-clause(i), the proviso there under shall be omitted;

(iii) in Explanation, in clause (b), for second proviso, the following shall be substituted, namely:-

“Provided further that the consumption by a subsidiary company as defined in clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the holding company as defined in clause (46) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), of a company which is a captive user, shall also be admissible as captive consumption by the captive user.”;

(iv) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) The captive status of such generating plants, where captive generating plant and its captive user(s) are located in more than one state, shall be verified by the Central Electricity Authority as per the procedure issued by the Authority with the approval of the Central Government.”.

[F. No. 23/18/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal Rules were published 2005 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and was last amended vide G.S.R 558 (E), dated the 26th July, 2023.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247640
CG-DL-E-27072023-247640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]
No. 438]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 558(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 को और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्

“15. सब्सिडी लेखांकन तथा भुगतान:—(1) अधिनियम की धारा 65 के अधीन भुगतान योग्य सब्सिडी का लेखांकन, इस संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य आयोग द्वारा, अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए, तिमाही रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें अन्य सुसंगत व्यौरों के अतिरिक्त इस निष्कर्ष की सूचना दी जाएगी कि क्या सुसंगत तिमाही में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सब्सिडी की मांग, सब्सिडी प्राप्त श्रेणी द्वारा खपत की गई ऊर्जा और राज्य सरकार द्वारा घोषित उपभोक्ता श्रेणी-वार प्रति यूनिट सब्सिडी, अधिनियम की धारा 65 के अनुसार सब्सिडी के वास्तविक भुगतान तथा देय एवं भुगतान की गई सब्सिडी के बीच के अंतर लेखे के आधार पर की गई थी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, उपयुक्त आयोग द्वारा जारी संबद्ध विनियमों अथवा टैरिफ आदेशों के अनुसार, ('यूनिट' शब्द से किलो वाट घंटा (केडब्ल्यूएच) अथवा किलो वाट (केडब्ल्यू) अथवा हॉर्स पावर (एचपी) अथवा किलो वोल्ट एम्पियर (केवीए) अभिप्रेत है।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तिमाही रिपोर्ट संबंधित तिमाही की समाप्त तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और राज्य आयोग रिपोर्ट की जांच करेगा, और उप-नियम (2) के अनुसार, इसे प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर, संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ जारी करेगा।

(4) यदि सब्सिडी का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है तो, राज्य आयोग, अधिनियम की धारा 65 के उपबंधों के अनुसार, बिना सब्सिडी के टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करेगा।

(5) यदि सब्सिडी लेखांकन और सब्सिडी के लिए बिल देने की प्रक्रिया अधिनियम अथवा उसके अधीन नियमों अथवा विनियमों के अनुसार नहीं पाई जाती है तो, राज्य आयोग, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गैर-अनुपालन के लिए अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करेगा।”

3. उक्त नियम में, विद्यमान नियम 20 की क्रम संख्या को नियम 21 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस क्रम संख्या 21 के पहले, निम्नलिखित नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“20. **वित्तीय स्थिरता के लिए फ्रेमवर्क:** (1) टैरिफ निर्धारण के लिए राज्य आयोगों द्वारा अनुमोदित की जाने वाली सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी की ट्रेजेक्टरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहमत और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी राष्ट्रीय स्कीम अथवा कार्यक्रम अथवा अन्यथा के अनुसार होगी।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए, संग्रहण तथा बिलिंग दोनों दक्षताओं के लिए ट्रेजेक्टरी, के उप-नियम (1) के अधीन अनुमोदित ट्रेजेक्टरी के अनुसार राज्य आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(3) विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अधीन उपभोक्ताओं की विद्युत की 24X7 आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के अधीन तैयार की गई संसाधन पर्याप्तता योजना के अनुसार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई, विद्युत की खरीद की समस्त विवेकपूर्ण लागतों को गणना में सम्मिलित किया जाएगा, यदि विद्युत की खरीद पारदर्शी ढंग से की गई हो अथवा खरीद मूल्य का उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया हो।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (1) के अनुसार वितरण प्रणाली के विकास एवं अनुरक्षण के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए की गई समस्त विवेकपूर्ण लागतें पास-श्रू होंगी।

परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों के लिए लागत का ऐसा पास-श्रू निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) परिसंपत्ति का निर्माण अनुज्ञप्तिधारी के लिए संबंधित राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित कैपेक्स रोल आउट प्लान के अनुसार किया गया हो;

(ii) परिसंपत्ति की खरीद प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी ढंग से की गई हो;

(iii) परिसंपत्ति को जियो-टैग किया गया हो और निश्चित परिसंपत्ति रजिस्टर में उचित ढंग से दर्ज किया गया हो ”

(5) अनुमोदित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी की ट्रेजेक्टरी से विचलन के कारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लाभ अथवा हानि की गणना औसत विद्युत क्रय लागत के आधार पर की जाएगी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ताओं के बीच भागीदारी की जाएगी। टैरिफ में लाभ का दो-तिहाई उपभोक्ताओं को जाएगा और शेष वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखा जाएगा। हानि की दो-तिहाई का वहन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा और शेष का वहन उपभोक्ताओं द्वारा किया जाएगा।

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण मानदंड, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आयोगों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

(7) राज्य आयोग द्वारा इक्विटी पर उचित लाभ की अनुमति समग्र जोखिम के मूल्यांकन और प्रचलित पूंजी की लागत के आधार पर दी जाएगी।

(8) राज्य आयोग द्वारा इक्विटी पर लाभ को संबंधित अवधि के लिए, वितरण व्यापार में संबद्ध जोखिमों पर ध्यान देते हुए उपयुक्त संशोधन के साथ, केंद्रीय आयोग द्वारा उत्पादन एवं पारेषण के लिए अपने टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट इक्विटी पर लाभ के साथ संरेखित किया जाएगा।

[फा. सं. 23/18/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम वर्ष 2005 में भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379 (अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार संख्या 817 (अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 तथा सा.का.नि.911 (अ) तारीख 29 दिसंबर, 2022 और सा.का.नि. 466 (अ) तारीख 30 जून, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

G.S.R. 558(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 15 of the Electricity Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely:-

“15. Subsidy accounting and payment.-(1) The accounting of the subsidy payable under section 65 of the Act, shall be done by the distribution licensee, in accordance with the Standard Operating Procedures issued by the Central Government, in this regard.

(2) A quarterly report shall be issued by the State Commission for each distribution licensee, in its jurisdiction, giving findings whether demands for subsidy were raised by the distribution licensee in the relevant quarter based on accounts of the energy consumed by the subsidised category and consumer category wise per unit subsidy declared by the State Government, the actual payment of subsidy in accordance with section 65 of the Act and the gap in subsidy due and paid as well as other relevant details.

Explanation: For the purpose of this rule, (The term “Unit” means Kilo Watt Hour (kWh) or Kilo Watt (kW) or Horse Power (HP) or Kilo Volt Ampere (kVA), in accordance with the relevant Regulations or the Tariff Orders issued by the Appropriate Commission.

(3) The quarterly report shall be submitted by the distribution licensee within thirty days from end date of the respective quarter and the State Commission shall examine the report, and issue it with corrections, if any, in accordance with sub-rule (2), within thirty days of the submission.

(4) In case the subsidy has not been paid in advance, then the State Commission shall issue order for implementation of the tariff without subsidy, in accordance with provisions of the section 65 of the Act.

(5) If subsidy accounting and the raising bills for subsidy is not found in accordance with the Act or Rules or Regulations issued there under, the State Commission shall take appropriate action against the concerned officers of the licensee for non-compliance as per provisions of the Act.

3. In the said Rules, the existing rule 20 shall be re-numbered as rule 21 and before rule 21 as so re-numbered, the following rule shall be inserted, namely:-

“20. Framework for Financial Sustainability: (1) The Aggregate Technical and Commercial loss reduction trajectory to be approved by the State Commissions for tariff determination shall be in accordance with the trajectory agreed by the respective State Governments and approved by the Central Government under any national scheme or programme, or otherwise.

(2) The trajectory for both collection and billing efficiency, for distribution licensee shall be determined by the State Commission in accordance with the trajectory approved under sub-rule (1).

(3) All the prudent costs of power procurement, incurred by distribution licensee for ensuring 24x7 supply of electricity to consumers under the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 and for meeting requirements

as per Resource Adequacy plan prepared under the Electricity (Amendment) Rules 2022 shall be taken into account, provided that the procurement of power has been done in a transparent manner or procurement price has been approved by the Appropriate Commission.

(4) All the prudent costs incurred by the distribution licensee for creating the assets for development and maintenance of distribution system in accordance with sub-section (1) of section 42 of the Act shall be pass-through:

Provided that such pass-through of the cost for the assets created by the distribution licensee shall be subject to following conditions:-

(i) the asset has been created in accordance with the capex roll out plan for the licensee approved by the respective State Commission.

(ii) the asset has been procured in competitive and transparent manner.

(iii) the asset is geo-tagged and properly recorded in Fixed Asset Register.

(5) Gains or losses accrued to distribution licensee due to deviation from approved Aggregate Technical and Commercial loss reduction trajectory shall be quantified on the basis of Average Power Purchase Cost and shared between the distribution licensee and consumers. Two third of the gains shall be passed on to the consumers in tariff and rest shall be retained by the distribution licensee. Two third of the losses shall be borne by the distribution licensee and rest shall be borne by the consumers.

(6) The operation and maintenance norms for distribution licensee shall be determined by the State Commissions in accordance with the guidelines issued by the Authority.

(7) Reasonable Return on Equity shall be permitted, with the assessment of overall risk and the prevalent cost of capital.

(8) The Return on Equity by the State Commission shall be aligned with the Return on Equity specified by the Central Commission for generation and transmission in its Tariff Regulations for the relevant period, with appropriate modification taking into account the risks involved in distribution business.

[F. No. 23/18/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal Rules were published 2005 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and was last amended vide number G.S.R. 817 (E), dated 31st December, 2020 and vide number G.S.R. 911 (E), dated 29th December, 2022 and vide number G.S.R 466 (E), dated the 30th June, 2023.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246925
CG-DL-E-01072023-246925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]
No. 377]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जून, 2023

सा.का.नि. 466 (अ):— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2023 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विद्युत नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में, -
(क) खंड (क) में, उप-खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i)" स्वामित्व का छब्बीस प्रतिशत से अन्यून कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा धारित है:

परंतु यदि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र किसी संबद्ध कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, तो कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा उस संबद्ध कंपनी में स्वामित्व का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून धारित हो; और";

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

(ख) "कैप्टिव प्रयोक्ता" से किसी कैप्टिव उत्पादक संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंतिम प्रयोक्ता अभिप्रेत होगा और "कैप्टिव उपयोग" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा:

परंतु कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा विद्युत का उपभोग या तो प्रत्यक्ष रूप से या ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से हो सकेगा:

परंतु यह और कि किसी कंपनी, जो एक विद्यमान कैप्टिव प्रयोक्ता है, की सहायक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में यथा परिभाषित, द्वारा उपभोग भीकैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा कैप्टिव उपभोग के रूप में स्वीकार्य होगा।”

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

(4क) जहां किसी इकाई को अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, तो अनुज्ञप्ति की अवधि समुचित आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के अनुसार होगी;

(4ख) जहां किसी इकाई को अधिनियम की धारा 14 के पहले, दूसरे और पांचवें परंतुक के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी माना जाता है, तो अनुज्ञप्ति की अवधि, अधिनियम के लागू होने की तारीख से पच्चीस वर्ष होगी;

(4ग) अधिनियम की धारा 14 के अधीनसमुचित आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति और उक्त धारा 14 के पहले, दूसरे और पांचवें परंतुक के अधीनसमझी गई अनुज्ञप्ति को, जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता, नवीनीकृत माना जाएगा:

परंतु ऐसा नवीनीकरण, एक बार में पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर उससे कम अवधि के लिए होगा:

परंतु यह और कि जहां समुचित आयोग ने इन नियमों की अधिसूचना से पहले अनुज्ञप्ति का किसी विशिष्ट अवधि के लिए नवीनीकरण किया हो, तो इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति को उस विशिष्ट अवधि के लिए नवीनीकृत माना जाएगा।

परंतु यह और कि यह नियम अधिनियम की धारा 63 के अधीन, टैरिफ आधारित बोली के माध्यम से चयनित, पारेषण विकासकर्ताओं को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति पर लागू नहीं होगा।

4. उक्त नियम के, नियम 19 में -

(क) उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (ग) के परंतुक में, "कार्यान्वयन अभिकरण" शब्दों के स्थान पर, "मध्यस्थ खरीददार" शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) खंड (ड) में, 'सार्वजनिक करेगी' शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशित करेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों" शब्दों के स्थान पर, "अंतिम खरीददारों" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम में,

(क) अनुसूची-1में,-

(i) "किसी विशेष माह के लिए टैरिफ की संगणना पूल से अंतिम खरीददार को आपूर्ति की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर की जाती है, जैसे कि मध्यस्थ खरीददार द्वारा सौर ऊर्जा केंद्रीय पूल, पवन ऊर्जा केंद्रीय पूल और विद्युत की ऐसी आपूर्ति के लिए देय भुगतान योग्य वास्तविक राशि जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:"

शब्दों के स्थान पर,"किसी विशिष्ट माह के लिए टैरिफ की संगणना मध्यस्थ खरीददार द्वारा केंद्रीय पूल (अर्थात् सौर विद्युत केंद्रीय पूल, पवन विद्युत केंद्रीय पूल आदि) से अंतिम खरीददार को निर्धारित की गई ऊर्जा के आधार पर की जाती है और ऐसी निर्धारित ऊर्जा के लिए संदेय की जाने वाली वास्तविक रकम नीचे दिए गए दृष्टान्तानुसार होगी:" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) सारणी 1 और सारणी 2 में, स्तंभ (5) में, "माह के दौरान आपूर्ति की गई शेड्यूल ऊर्जा" शब्दों के स्थान पर, "मास के दौरान अनुसूचित ऊर्जा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची-2 के,-

(i) पैरा 1 के, उप-पैरा(7) की, मद (ii) में, "6 (i)" अंक कोष्ठकों, एवं अक्षर के स्थान पर, "उप-पैरा(7) की मद (i)" शब्द कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 3 के शीर्षक को, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना हेतु सूत्र";

(iii) सूत्र में, "सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत" अक्षर और शब्दों के स्थान पर "सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत (ईंधन लागत में परिवर्तन सहित)" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 23/18/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

मूल नियम वर्ष 2005 में भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379 (अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 667 (अ) तारीख 26 अक्टूबर, 2006 तथा अधिसूचना संख्या 817 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,-

(a) in clause (a), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(i) “not less than twenty-six per cent. of the ownership is held by the captive user:

Provided that if the Captive Generating Plant is set up by an affiliate company, not less than fifty-one per cent. of the ownership, is held by the captive user, in that affiliate company; and”;

(b) in the Explanation occurring after sub-rule (2), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) “captive user” shall mean the end user of the electricity generated in a Captive Generating Plant and the term “captive use” shall be construed accordingly:

Provided that the consumption of electricity by the captive user may be either directly or through Energy Storage System:

Provided further that the consumption by a subsidiary company, as defined in clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), of a company which is an existing captive user shall also be admissible as captive consumption by the captive user.’

3. In the said rules, after rule 4, the following rules shall be inserted, namely:-

(4A) Where any entity has been granted licence under section 14 of the Act, the period of the licence shall be in accordance with the terms and conditions of the licence granted by the Appropriate Commission;

(4B) Where an entity is a deemed licensee under the first, second and fifth proviso to section 14 of the Act, the period of the licence shall be twenty five years from the date of the coming into force of the Act;

(4C) The licence granted by the Appropriate Commission under section 14 of the Act and the deemed licence under first, second and fifth proviso to said section 14 shall be deemed to be renewed unless the same is revoked:

Provided that such renewal, shall be for a period of twenty five years at a time or for a lesser period, if requested by the licensee:

Provided further that where the Appropriate Commission has renewed the licence for a particular period before the notification of these rules, the licence shall be deemed to be renewed for that particular period under these rules.

Provided also that this rule shall not apply to the licence granted to transmission developers, selected through tariff based bidding, under section 63 of the Act.

4. In the said rules, in Rule 19.-

(A) in sub-rule (1),-

(i) in proviso to clause (c), for the word “implementing agency”, the words “intermediary procurer”, shall be substituted; and

(ii) in clause (m), for the word ‘provide public’, the words “publish” shall be substituted;

(B) in sub-rule (2), for the words “renewable energy generators”, the words “end procurers” shall be substituted.

5. In the said Rules,

(A) in Schedule-I,-

(i) for the words “Tariff for a particular month is calculated based on actual energy supplied to end procurer from the Pool like that solar power central pool, wind power central pool by the intermediary procurer and actual amount to be payable for such supply of power as illustrated below:” the words “Tariff for a particular Month is calculated based on Energy Scheduled to end procurer from the Central Pool (i.e. Solar Power Central Pool, Wind Power Central Pool etc.) by the Intermediary Procurer and the actual amount to be payable for such scheduled energy as illustrated below:” shall be substituted;

(ii) in Table 1 and 2, in column (5), for the words “Schedule Energy supplied during the Month”, the words “Energy Scheduled during the month” shall be substituted;

(B) in Schedule II,-

(i) in paragraph 1, in sub-paragraph (7), in item (ii), for the figures brackets, and letters "6(i)", the words, brackets, letters and figures “item (i) of sub-paragraph (7)” shall be substituted;

(ii) the heading of paragraph 3 shall be substituted, namely:-

“2. Formula for Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge”;

(iii) in paragraph 3, for serial numbers (4), (5) and (6), the serial numbers (1), (2) and (3) shall be substituted; and

(iv) in Formula, for the letter and words “C is incremental Average Power Purchase Cost” the letter and words “C is incremental Average Power Purchase Cost (including the change of fuel cost)” shall be substituted.

[F. No. 23/18/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

The Principal Rules were published 2005 in the Gazette of India vide notification number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and subsequent amendments vide notification number G.S.R 667 (E), dated the 26th October, 2006 and notification number G.S.R. 817 (E) dated 31st December, 2020.